

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या: 2347 / FP/UK/OFC/54637/2020 देहरादून: दिनांक 9 मार्च, 2021

सेवा में,

प्रभारी सचिव,

वन अनुभाग-3,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-ऊधमसिंह नगर में तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई एवं खटीमा रेंज के अन्तर्गत खटीमा-बकुलिया मोटर मार्ग के किनारे OFC बिछाने हेतु 0.041 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/OFC/54637/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि०, के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.041 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि प्रकरण में वृक्षों का पातन शून्य है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ०एफ०सी० के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्रांक 3831/12-1 दिनांक 04.03.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथि से पूर्व का है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक,

कार्या-अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण
निदेशालय, देहरादून।

संख्या / FP/UK/OFC/54637/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
5. जिलाधिकारी, जनपद-ऊधमसिंह नगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
7. प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि०, प्लॉट नं०-32, आई०टी० पार्क, शहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

(डी०जे०के० शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक,

कार्या-अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण
निदेशालय, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-ऊधमसिंह नगर में तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई एवं खटीमा रेंज के अन्तर्गत खटीमा-बकुलिया मोटर मार्ग के किनारे OFC बिछाने हेतु 0.041 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

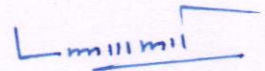
(Online proposal no- FP/UK/OFC/54637/2020)

जनपद-ऊधमसिंह नगर में तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई एवं खटीमा रेंज के अन्तर्गत खटीमा-बकुलिया मोटर मार्ग के किनारे OFC बिछाने हेतु 0.041 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.041 हे० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-ऊधमसिंहनगर/ प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि प्रकरण में वृक्षों का पातन शून्य हैं।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ०एफ०सी० के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्रांक 3831/12-1 दिनांक 04.03.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथि से पूर्व का है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनाम:
हस्ताक्षर:



सरकारी मोहर:

(डी०जे०के० शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक,
कार्या-अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण
निदेशालय, देहरादून।
D. J. K. SHARMA
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand

तिथि : 09/03/2020

स्थान : देहरादून